संख्या–4226/सैंतीस–2–2013–1(22)/2013

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0 प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक, 14 नवम्बर, 2013

विषयः– 50 दुधारू पशुओं की मिनी कामधेनु डेयरी ईकाईयों की राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण योजना संचालित किया जाना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की लगभग 68 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है। जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य श्रोत कृषि एवं पशुपालन हैं वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 33 प्रतिशत है जो देश के सकल घरेलू जी0डी0पी0 का लगभग 9 प्रतिशत है।

2– उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश में देश का 10.5 प्रतिशत गोवंश एवं 27 प्रतिशत महिषवंश है यद्यपि प्रदेश वर्ष 2011–12 में 225.59 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। लेकिन प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की उत्पादकता 2.5 के0जी0 प्रतिदिन प्रति पशु है, जबकि पंजाब एवं हरियाणा में यह उत्पादकता दोगुनी है। इसी प्रकार भैंसों की उत्पादकता प्रदेश में 4.4 के0जी0 प्रतिदिन प्रति पशु है, जबकि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उत्पादकता डेढ गुनी है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्च्व गुणवत्ता युक्त पशुओं का न होना है।

3– अतः आवश्यकता है कि पशु पालन के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास हेतु उच्च्व नस्ल के अधिक से अधिक पशुओं की इकाई स्थापित की जाये। पशुपालन विभाग पशुधन के क्षेत्र में विकास हेतु उन्नत पशुपालन संसाधन तथा उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण, चारा विकास, रोजगार सृजन आदि कार्यक्रम संचालित करता है लेकिन पशुपालकों को उच्च्व गुणवत्ता के पशु प्राप्त करने हेतु प्रदेश के बाहर जाना पडता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उच्च्व गुणवत्ता के पशुओं की डेरी यूनिट स्थापित करना अति आवश्यक है। जिसके लिये प्रदेश में 50 दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) प्रति यूनिट की इकाई स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की जा रही है।

योजना का मुख्य उद्देश्य :–

1– प्रदेश में उच्च्व उत्पादकता क्षमता के गोवंशीय एवं महिषवंशीय नर एवं मादा पशुओं का उत्पादन।

2– पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी।

3– प्रदेश के पशुपालकों को प्रदेश में ही उच्च्व उत्पादक क्षमता के गोवंशीय एवं महिषवंशीय नर मादा पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

4– रोजगार के अवसर प्रदान करना।

योजना का स्वरूप :–

- प्रदेश में प्रथम चरण में 50 दुधारू गाय/भैंसों की 150 यूनिट स्थापित की जायेगी तथा इसे आगामी वर्षों में विस्तारित किया जायेगा।
- दुधारू गायों में संकर जर्सी, संकर एच0एफ0 अथवा साहीवाल प्रजाति की गाय होंगी तथा भैंसों में केवल मुर्रा भैंस ही रखी जायेगी।
- 50 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित करने हेतु पशुपालक अपनी सुविधानुसार यह स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे यूनिट में समस्त गाय रखनी है या समस्त भैंसें रखनी है अथवा गायें/भैंसें दोनो कितनी–कितनी संख्या में रखनी है।
- गायों की यूनिट स्थापित करने में समस्त गाये एक ही प्रजाति की होंगी।
- यूनिट की पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी एवं 75 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।
- योजना लागत के 75 प्रतिशत पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों (60 माह) तक विभाग द्वारा बैंक को की जायेगी।
- नियमित ऋण अदा न करने पर योजना अन्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पडता है तो उसे लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- लाभार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की नियमित अदायगी पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। नियमित ऋण अदा न होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
- गाय/भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता के सांडों से प्राप्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा किया जायेगा।
- यदि पूरी यूनिट दुधारू गायों की है तो यूनिट में सांड नहीं रखा जायेगा। मुर्रा सांड केवल गायों/भैंसों की मिश्रित यूनिट अथवा केवल भैंसों की यूनिट मे रखा जायेगा।
- गाय एवं भैंसों की संतति की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय उनके भ्रण पोषण पर होने वाले व्यय पर समायोजित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यक्रमों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ भी डबटेल किया जायेगा, ताकि लाभार्थी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जायेगा।
- क्रय किये गये समस्त पशुओं का बीमा कराया जायेगा तथा लाभार्थी को विभाग द्वारा डेरी प्रबन्धन, पशु पोषण एवं पशु स्वास्थ्य तथा लेखा सम्बन्धी रख रखाव के सम्बन्ध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

लाभार्थी का चयन :–

योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी का चयन किया जायेगा जो पशु पालन में रूचि रखता हो तथा पूर्व से ही पशु पालन का कार्य कर रहा हो। लाभार्थी के पास शेड बनाने की भूमि के अतिरिक्त कम से कम 1 एकड भूमि होना आवश्यक है। यूनिट की स्थापना यथासम्भव पी0सी0डी0एफ0 के मिल्क रूट पर की जायेगी, ताकि दूध की बिक्री सुगमता पूर्वक हो सके।

लाभार्थी का चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा :—

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	संयोजक सचिव
लीड बैंक ऑफिसर	सदस्य
दुग्ध विकास अधिकारी	सदस्य

पशु क्रय हेतु आवश्यक मापदण्ड :—

1— पशुओं का क्रय प्रदेश के बाहर से ही किया जायेगा।

2— क्रय किये जाने वाले पशु प्रथम या द्वितीय ब्यात के होने चाहिए तथा दुग्ध उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन 12 लीटर से कम न हो।

3— क्रय किये जाने वाले पशु डेढ माह से पूर्व के ब्यायें हुये न हो।

4— सभी पशु रोग मुक्त एवं स्वस्थ होने चाहिये।

5— पशु-क्रय स्थल पर ही पशुओं का बीमा करना होगा।

पशुओ का क्रय निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:—

1—	सम्बन्धित जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
2—	सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
3—	क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
4—	सम्बन्धित लाभार्थी	सदस्य

इकाई लागत (50 दुधारू पशु इकाई)

अ. पूजींगत व्यय:—

(A) पशु क्रय व्यय— कुल रू0 4011360.00

(B) पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय कुल रू0 938500.00

(C) उपकरण पर व्यय कुल रू0 285000.00

उक्त डेयरी की स्थापना से लाभार्थी को प्रथम वर्ष में लगभग रू0 15.00 लाख, दूसरे वर्ष में 20.00 लाख, तीसरे वर्ष में रू0 22.00 लाख, चौथे वर्ष में रू0 23.00 लाख एवं पांचवे वर्ष में रू0 25.00 लाख का लाभ होना संभावित है।

पाँच वर्षो में प्रति यूनिट ब्याज का प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशि :—

1— 50 दुधारू पशु की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि रू0 5235000 लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को 25 प्रतिशत धनराशि अर्थत रू0 1309000 मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं 75 प्रतिशत धनराशि रू0 3926000 बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशिति से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2— बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत की दरन से ब्याज निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप में पांच वर्षो में उविभाग द्वारा बैंक को दिया जायेगा। यह धनराशि एक यूनिट पर पांच वर्षो (60 माह) में रू0 1413360 अर्थात अधिकतम 14.14 लाख होगी।

3— पशुपालक को राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेकर पशुओं का क्रय करना होगा एवं ऋण की ली गयी धनराशि का मूलधन पांच वर्षो में नियमित रूप से बैंक को अदा करना होगा। नियमित ऋण अदा न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल

ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है तो लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशुओं का बीमा करवाना आवश्यक होगा।

योजना का अनुश्रवण :–

उक्त योजनान्तर्गत समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि वह पशुपालकों द्वारा क्रय किये जा रहे पशुओं का त्रैमासिक आधार पर निरीक्षण करें एवं सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों का निर्देशित करें कि वह मासिक आधार पर पशुओं का निरीक्षण करें तथा औसत दुग्ध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी, बैंक का मूलधन की वापसी की स्थिति एवं अन्य जानकारियां मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रूप में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सम्पूर्ण जनपद की उक्त संकलित सूचना अपर निदेशक ग्रेड–2 को उपलब्ध करायेंगे एवं अपर निदेशक का दायित्व होगा कि वह अपने मण्डल की संकलित सूचना प्रतिमाह 30 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करायें। निदेशालय स्तर पर उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का संकलित किया जायेगा।

योजना का लाभ :–

1– प्रदेश में प्रतिवर्ष 225 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन होगा।

2– पशुपालक को पांच वर्षों में प्रति यूनिट रू0 105.36 लाख का लाभ होगा।

3– प्रदेश में प्रतिवर्ष उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के तीन हजार नर पशु एवं तीन हजार मादा पशु उत्पादित होंगे।

4– प्रदेश के अन्य पशुपालकों को प्रदेश के अन्दर ही उच्च गुणवत्ता के मादा पशु प्राप्त हो सकेंगे।

5– ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उपरोक्त योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में आवश्यक धनराशि के आवंटन विषयक कृषि अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–5071 /12–3–100(28)/2013टी0सी0, दिनांक 13–11–2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना हेतु समय सारिणी तैयार कर ली जाय एवं उक्त समय सारिणी के अनुसार तत्काल अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

भवदीय,

(योगेश कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या 4226(1)/सैंतीस–2–2013 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
5– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
7– समस्त अपर निदेशक, पशुपालन विभाग उ0 प्र0।
8– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग उ0 प्र0।
9– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
उप सचिव ।